

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मसूदा जिला अजमेर

क्रमांक - रीडर/2020/ 27

दिनांक 27-08-2020

-: आदेश :-

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक राजस्व(ग्रुप-6) विभाग जयपुर के परिपत्र पत्रांक प.3 राज-6/2003/पार्ट जयपुर दिनांक 10.08.2016 के अनुसार चालू स्थाई रास्तों के राजस्व अभिलेख में अंकन की कार्यवाही की जानी है।

उक्त रास्तों का राजस्व अभिलेख में अंकन हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131,132 तथा राजस्थान भू-अभिलेख नियम 1957 के नियम 53,59,60,66 एवं 86 के अनुसार तहसीलदार मसूदा द्वारा प्राप्त प्रस्ताव व अनुशंषा अनुसार भूमि नियमानुसार राजस्व रेकार्ड में गै.मु. रास्ता एवं नक्शों में लाल स्याही से अंकन करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार मसूदा उक्त आदेश के अनुसार पालना सुनिश्चित कर 15 दिवस में मय रेकार्ड की प्रति सहित पालना प्रेषित करे।

पटवार मण्डल :- शेरगढ

तहसील :- मसूदा

वर्तमान जमाबंदी में दर्ज प्रविष्टि						नवीन(रास्ता हेतु) प्रविष्टि			
क्र. सं.	पोर्टल क्रमांक	तहसीलदार मसूदा के पत्रांक नम्बर मय दिनांक	ग्राम का नाम	खसरा न.	कुल रकबा	किस्म जमीन	खसरा न.	रकबा	किस्म जमीन
1	2020/00210	3757 23.07.2020	शेरगढ	25 80 37 3474/11	0.3317 है. 5.3799 है. 2.6697 है. 0.9870 है.	गै.मु.बरडा दाती गै.मु.दाती गै.मु.दाती	25 80 37 11/1	0.3317 है. 1680मीटर 2320मीटर 1760मीटर	गै.मु. रास्ता
2	2020/00209	3756 29.07.2020	शेरगढ	1066 1083 1086 3694/1095 1157 1097 3699/1096 1644 1645	0.2346 है. 0.2427 है. 2.9609 है. 0.9384 है. 2.9529 है. 3.2684 है. 1.7639 है. 7.0545 है. 13.1301 है.	गै.मु.रास्ता बारानी 3 बारानी 3 बारानी 3 आबी 3 आबी 3 आबी 3 गै.मु.बरडा गै.मु.बरडा	1066 1083 1086 3694/1095 1157 1097 3699/1096 1644 1645	0.2346 है. 192मीटर 2000मीटर 2000मीटर 2000मीटर 960 मीटर 640 मीटर 3360 मीटर 2000 मीटर	गै.मु. रास्ता

नोट:- अवशेष इन्द्राज यथावत रहेंगे।

(मोहनलाल खटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी
(एस.डी.एम.)मसूदा (अजमेर)

